न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 145/2011 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2011/00162

उनवान

1. महाराज सिंह पुत्र लालपति
2. रामबेटी वेवा लालपति (मृतक)

} जातिगण राठौर तेली नि0 लुहारी का पुरा मजरा लुहारी तह0 व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. भगवान सिंह
2. राजेन्द्र
3. वचन सिंह
4. रामजीलाल

} पुत्रगण स्व0 श्री गनपति जाति राठौर तेली नि0 लुहारी का पुरा मजरा लुहारी व पुराना रसाला काली माई के पीछे राठौर कालौनी धौलपुर।

5. रमरतिया उर्फ रामवती पुत्री गनपति पत्नी भगवान सिंह जाति राठौर तेली नि0 पिनाहट तह0 बाह जिला आगरा(उ0प्र)
6. प्रेमा पुत्री गनपति पत्नी तुलसीराम जाति राठौर तेली निवासी गधाईपुरा बिरलानगर नहर के पास ग्वालियर तहसील व जिला ग्वालियर(म0प्र0)
7. खेम सिंह
8. बाबूलाल

} पुत्रगण मुरली जाति राठौर तेली निवासी लुहारी का पुरा हाल आबाद पुराना रसाला काली माई के पीछे धौलपुर।

9. लच्छीराम
10. मंगला

} पुत्रगण स्व0रामचरन जाति राठौर तेली निवासी लुहारी का पुरा हाल आबाद पुराना रसाला काली माई के पीछे धौलपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर प्रकरण संख्या 162/2003 उनवानी महाराज सिंह बनाम गनपति।

उपस्थितिः–

1. श्री योगेश शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री गिरीश व्यास वकील रेस्पोंडेंट।

निर्णय दिनांक–30.03.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलाण्ट ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0, इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 199 रकवा 02 विस्वा, 200 रकवा 03 बीघा 01 विस्वा, 203 रकवा 02 बीघा वाके ग्राम लुहारी का पुरा तहसील धौलपुर तथा आराजी खसरा नम्बर 240 रकवा 01 बीघा 09 विस्वा, 252 रकवा 03 बीघा 12 विस्वा स्थित ग्राम लुहारी तहसील धौलपुर में स्थित है तथा आराजी खसरा नम्बर 240 रकवा 01 बीघा 09 विस्वा, 252 रकवा 03 बीघा 12 विस्वा स्थित ग्राम लुहारी तहसील धौलपुर में स्थित है। विवादित आराजी के वादी/अपीलाण्ट एवं प्रतिवादी/रैस्पो0 के पूर्व पुरूष मुरली पुत्र धर्मजीत कौम तेली खातेदार काश्तकार व मौके पर काबिज थे एवं मुरली के देहान्त बाद विवादित आराजी गनपति, खेमकरन, बाबूलाल, लालपति एवं रामचरन के थान पर लच्छीराम व मंगला पर प्रकान्त हुई। परन्तु नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 09.09.1976 जो मृतक लालपति की मृत्यु उपरान्त खोला गया उसमें महाराज सिंह पुत्र लालपति तथा वेवा रामबेटी के स्थान पर रामजीलाल का नाम अंकित कर दिया जो कि गलत व अवैध रूप से हुआ। विवादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्सा महाराज सिंह व वेवा रामबेटी का होना चाहिए था जो महाराज सिंह व रामजीलाल राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन निर्णय से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी सिद्ध थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपीलाण्ट एवं रामबेटी, लालपति की विधवा तथा महाराज सिंह की मॉ बखूबी साबित थी तथा स्व0 लालपति के हिस्से में वहिस्सा बराबर की अधिकारिणी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्रदर्श–6 पंचायत नामा तथा प्रदर्श 7, 8 निर्वाचन नामावली पर कतई गौर नहीं किया उक्त प्रदर्शो से रामजीलाल गनपति का पुत्र होना सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त नामान्तकरण प्रदर्श–2 में हो रही कॉट–छॉट तथा अन्य दस्तावेजो से भी रामजीलाल द्वारा की गई फर्जकारी सिद्ध होती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर गौर ना करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। अपने तर्को के समर्थन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 के पेज 974 व 975 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनन सही व विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रामजीलाल स्व0 लालपति का ही पुत्र है। लालपति की दो शादियॉ हुई थी एवं रामजीलाल लालपति की पूर्व पत्नी द्रौपती का पुत्र है। रामजीलाल ने मृतक लालपति के स्थान पर रेलवे में अनुकम्पात्मक नियुक्ति भी प्राप्त की थी। रेलवे के नियुक्ति आदेश, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में सभी जगह रामजीलाल का पिता लालपत ही दर्ज है। रैस्पो0 रामजीलाल नौकरी पर बाहर रहता था। पीछे से किसी ने मतदाता सूची में रामजीलाल के पिता का नाम गनपति लिखवा दिया। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प–धौलपुर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित सात तनकियॉ कायम की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण/अपीलाण्ट पर था। वादीगण/अपीलाण्ट ने अपने कथनो के समर्थन में कोई प्रमाणित जमाबन्दी पेश नहीं की है। परन्तु नामान्तकरण संख्या 67 ग्राम लुहारी प्रदर्श–2 के अनुसार वादी/अपीलाण्ट संख्या 01 का लालपति का पुत्र होना तो सिद्ध होता है परन्तु वादी/अपीलाण्ट संख्या 02 रामबेटी का यह कथन कि वह लालपति की वेवा है। सिद्ध नहीं होता है एवं ना ही उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित होता हो कि वह मृतक लालपति की वेवा है। इस प्रकार वादीगण/अपीलाण्ट इस तनकी को पूर्णतया सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी उचित ही विरूद्ध वादीगण/अपीलाण्ट निर्णित की है।

7. <u>तनकी संख्या 02</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण/अपीलाण्ट पर था। वादीगण/अपीलाण्ट ने अपने कथनो के समर्थन में निर्वाचक नामावली 1983 क्रंमाक 842 प्रदर्श–7 एवं निर्वाचन नामावली 1993 क्रंमाक 355 प्रदर्श–8 पेश किया है जिसमें रामजीलाल के पिता का नाम गनपति दर्ज है। परन्तु दूसरी ओर मध्य रेल कार्यालय खण्ड अभियन्ता ग्वालियर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–9, नकल नामान्तकरण संख्या 67 प्रदर्श–2 एवं न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग धौलपुर के नकल निर्णय दिनांक 16.09.2009 प्रदर्श ए–1 में किये गये विवेचन एवं उक्त प्रदर्श 2, 9 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि रामजीलाल के पिता का नाम लालपत था। वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में सिर्फ निर्वाचक नामावली प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8 प्रस्तुत किया है जो कि उक्त प्रदर्श 2, 9, ए–1 एवं अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग धौलपुर में हुये बयानात के होते हुये अपर्याप्त दस्तावेज है। उक्त मतदाता सूची के संबंध में भी न्यायालय श्रीमान् न्याायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने निर्णय में पूर्ण विवेचना की गयी है कि " वोटर लिस्ट में गलतियॉ भी हो सकती हैं। घर का कोई सदस्य/मुखिया नाम लिखवा देता है प्रत्येक मतदाता का सत्यापन/प्रमाणीकर नहीं होता है यदि कोई गलत लिखवा देता है तो वही वोटर लिस्ट में छप जाता है" अतः उपरोक्त प्रदर्शा को मद्देनजर रखते हुये, यहॉ इस तथ्य की संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि रामजीलाल के पिता का नाम किसी ने गनपत लिखा दिया हो व वही वोटर लिस्ट में छप गया हो। वोटरलिस्ट में रामजीलाल का नाम गनपत है यह ऐसी कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह निर्विवाद रूप से मान लिया जावें कि रामजीलाल के पिता का नाम गनपत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में भी हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

8. <u>तनकी संख्या 03, 04, 05, 06</u> उक्त चारो तनकियॉ, तनकी संख्या 01 व 02 के निर्णय से प्रभावित होती हैं। चूंकि तनकी संख्या 01 व 02 विरूद्ध वादीगण/अपीलाण्ट पायी गयी हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय की उक्त चारो तनकियों की विवेचना में भी हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. <u>तनकी संख्या 07 अनुतोष</u> – समस्त तनकियात का निस्तारण किया जा चुका है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। तद्नुसार न्यायालय के मत में अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना न्यायोचित है।

10. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर का निर्णय दिनांक 03.10.2011 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्य0 भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दावानो)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम धौलपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 145/2011 (223 आर0 टी0 एक्ट)

उनवान

1. महाराज सिंह पुत्र लालपति
2. रामबेटी वेवा लालपति (मृतक)

} जातिगण राठौर तेली नि0 लुहारी का पुरा मजरा लुहारी तह0 व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. भगवान सिंह
2. राजेन्द्र
3. वचन सिंह
4. रामजीलाल

} पुत्रगण स्व0 श्री गनपति जाति राठौर तेली नि0 लुहारी का पुरा मजरा लुहारी व पुराना रसाला काली माई के पीछे राठौर कालौनी धौलपुर।

5. रमरतिया उर्फ रामवती पुत्री गनपति पत्नी भगवान सिंह जाति राठौर तेली नि0 पिनाहट तह0 वाह जिला आगरा(उ0प्र)
6. प्रेमा पुत्री गनपति पत्नी तुलसीराम जाति राठौर तेली निवासी गधाईपुरा बिरलानगर नहर के पास ग्वालियर तहसील व जिला ग्वालियर(म0प्र0)
7. खेम सिंह
8. बाबूलाल

} पुत्रगण मुरली जाति राठौर तेली निवासी लुहारी का पुरा हाल आबाद पुराना रसाला काली माई के पीछे धौलपुर।

9. लच्छीराम
10. मंगला

} पुत्रगण स्व0रामचरन जाति राठौर तेली निवासी लुहारी का पुरा हाल आबाद पुराना रसाला काली माई के पीछे धौलपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर प्रकरण संख्या 162/2003 उनवानी महाराज सिंह बनाम गनपति।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री योगेश शर्मा मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अधिवक्ता श्री गिरीश व्यास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2011 यथावत रखे जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....30....माह....03.....सन्.....2021....को जारी की गई।

30.3.2021

मुहर

दस्तखत.....
औहदा.....पदेन.....

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।